

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2002 (आषाढ 28, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, नरेन्द्र बिरधरे, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम सारा में एक युवक की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर नगर के राहतगढ़ बस स्टैंड के समीप रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य अपूर्ण होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(3) सर्वश्री नरेन्द्र बिरधरे, लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील अंतर्गत पिछोर रोड पर वस्यु गिरौह द्वारा चार लोगों का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री कमल पटेल, लक्ष्मीकांत शर्मा, लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य, शासन की गलत नीतियों से कम्पनियों द्वारा बिजली घर न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित
समय
1 घन्टा
30 मि.
(शेष 50
मि.)

3. नियम 138 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

4. अशासकीय संकल्प

30 मि.

(1) श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि प्रदेश में संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु शासन द्वारा पहल की जावे."

1 घन्टा
10 मि.

(2) श्री धूलसिंह यादव, वकील, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि प्रदेश के किसानों से सिंचाई के समय का ही विद्युत भुगतान लिया जाय एवं सिंचाई समय के अतिरिक्त समय का भुगतान नहीं लिया जाय."

50 मि.

(3) डॉ.सीतासरन शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि प्रदेश में प्रचलित अनुपयोगी एवं पुराने अधिनियमों को समाप्त किया जावे."

भोपाल :
दिनांक : 18 जुलाई, 2002

डॉ.ए.के.पयारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.